निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -115/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्यकर, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्यकर, रूड़की के माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 05.12.2017 से 13.12.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा नई इकाई द्वारा वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/15 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह 09/15 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्यकर रूड़की
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	-
2015-16	37026.72
2016-17	39708.95

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मंगलौर, सलेमपुर, राजपुताना, लण्डौरा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्यकर, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह..... को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह.....को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 **'अ'**

प्रस्तर-01 कर का न्यूनारोपणता रू 86.19 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत कसी भी अनुसूची से मत्र वस्तु की बिक्री पर करदेयता 12.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गयी थी। तथा दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकरत वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0) IV, वा णज्य कर, रूड़की की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्न ल खत क मयां पाई गयी थी।

(क) व्यापारी सर्वश्री इनोवेशन्स सलेमपुर, राजपुताना, रूड़की, कर-निर्धारता वर्ष-2012-13 द्वारा `072,75,000/- की सर्जिकल गुडस की बिक्री धारा - 25(7) के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर से तथा धारा 9(2) के अंतर्गत `047,000/- की 'सर्जिकल गुडस' की बिक्री 4.5 प्रतिशत तता `8,05,80,150/- की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई थी। जब क कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांक/आयु0क0 उत्तरा0/धारा-57/वा0कर02012-13 देहरादून दिनांकः 23 जुलाई 2012 द्वारा सर्जिकल गुडस को अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में मानते हुए उसकी बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर-आरोपणता का निर्देश दिया गया था।

अतः उक्त की बिक्री पर अंतरीय कर दर क्रमशः 9 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत से `74,71,918/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार व्याज भी आरोपणीय होगा। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क उक्त वस्तु 2B के क्रमांक 72 से आच्छादित है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्यों क उक्त अनुसूची के प्रतिष्टि संख्या 72, च कत्सा संबंधी उपस्कर/युक्तियाँ तथा इम्टलांट से संबं धत था तथा धारा-57 में दिए गए निर्णाय के अनुसार 'सर्जिकल गुडस' को अवगीकृत श्रेणी में रखा गया था।

(ख) व्यापारी सर्वश्री हिलराप रबड़ प्रा0 ल0, सलेमपुर, राजपुताना, रूड़की, कर-निर्धारता वर्ष- 2012-13 द्वारा धारा-25 (7) एवं 9 (2) के अंतर्गत कुल `8,35,755/- की रिट्रीरिंग रबर की बिक्री 4.5 प्रतिशत की दर से तथा `1,25,54,004/- की रिट्रीरिंग रबर की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई थी जब क कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2163/ धारा-57/ आय0क0उत्तरा0देहरा0/2008-09 दिनांक 19

सतम्बर 2008 द्वारा "रिट्रीरिंग रबर" को अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में मानते हुए उसकी बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर- आरोपणता का निर्देश दिया गया था। अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर क्रमशः 9 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत से `11,47,310/ का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर - अ धनियम 2005 की अनुसूची-2'ब' के क्रमांक-144 से आच्छादित है।

वभाग का उत्तर मान्य नही था, क्यों क उक्त अनुसूची के प्रति वष्ट संख्या-144, निष्प्रोज्य रबड़ से नि र्मत रबड़ प्रोसेस्ड आँयल से संब धत था तथा धारा -57 में दिए गए निर्णाय के अनुसार 'रिट्रीरिग रबड़' को अवर्गीकृत श्रेणी में रखते हुए 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी थी।

अतः कर `86.19 लाख के न्यूरोपण का प्रकरण शासन/ वभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>गणना शीट</u>

1 व्यापारी- सर्वक्षी प्रेथ इनोवेशन्स सलेमपुर राजपुताना, रूड़की, क0न0 वर्ष 2012-13

<u>धारा- 25 (7)</u>

स्वयं नि र्मत सर्जिकल गुडस `72,75,000/- की प्रातीय बिक्री पर अन्तरीत कर दर 8.5 प्रतिशत (13.5-5) से `6,18,375/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

<u>धारा - 9(2)</u>

`47,000/- की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 9 प्रतिशत (13.5-4.5) से `4230/- का अतिरिक्त कर तथा `8,05,80,150/- की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5 प्रतिशत (13.5-5) से `68,49,313/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

इस प्रकार कुल 74,71,918/- (6,18,375+4230+68,49,319) का कर का अनारोपणता हुआ।

2 व्यापारी- सर्वश्री हिलराप रबड़ प्रा0नि0, सलेमपुर राजपुताना, रूड़की, कर-नि0 वर्ष-<u>2012-13</u>

धारा- 25 (7)

बिक्री की रा श	अन्तरीय कर दर	कर की रा श
`1,27,455/-	9% (13.5-4.5)	`11471/-
`1,44,760/-	8.5% (13.5-5)	`12305/-

धारा- 9(2)

`58,841/-	8.5%(13.5-5)	`5001/-

7,08,300/-	9%(13.5-4.5)	`63747/-
`1,24,09,244/-	8.5%(13.5-5)	`1054786/-
		कुल-`11,47,310/-

भाग-2 **'ब'**

प्रस्तर-2 इनपुट टैक्स क्रे डट का रिवर्स न कया जाना `13.30 लाख तथा अर्थदण्ड का अनारोपणता `39.90 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 6(8) (5) के अनुसार अनुसूची III में सम्मि लत वस्तु के प्रान्तीय क्रय पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नही होगा साथ ही वज्ञप्ति संख्या 478/2012/10(120)/XXVII (8)/2012 दिनांक 30.05.2012 के द्वारा समस्त प्रमाति के वृक्ष तथा सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा कास्ट को अनुसूची-III में शा मल कया गया था।

इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनरा श के गलत दावा करने अथवा कसी मथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करने पर पाँच हजार या दावा कृत धनरा श के तीन गुणा धनरा श जो भी अ धक हो, अर्थदण्ड का प्रावधान उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58 (1)(i) में कया गया था।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-IV,वा णज्यकर, रूड़की की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नां कत क मयां पायी गयी थी।

(क) व्यापारी सर्वश्री का सफ एण्टरप्रारसेस मार्फत गोल्ड प्लस गलास फैक्ट्री, थथौला, रूड़की कर-निर्धारता वर्ष 2012-13 द्वारा राँ-मैरियत का क्रय क्रमशः 13.5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत से करते हुए `19,57,730/- के आई.टी.सी. का दावा कया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची की जाँच में पाया गया क 13.5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रय `77,19,756/- तथा 5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रय `1,34,93,989/- कया गया था जिस पर `17,16,866/- का आई.टी.सी अनुमन्य था जब क कर- निर्धारता आदेश में 13.5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रय `83,18,561/- तथा 5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रय `1,66,94,482/- दर्शाया गया था जिस पर `19,57,730/- के आई.टी.सी. का दावा कया गया था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा `2,40,865/- अ धक आई.टी.सी. का दावा कया गया था। जिसे कर- निर्धारता अ धकारी द्वारा अनुमन्य कर दिया गया। जो रिवर्स योग्य था साथ ही धारा 58 (1)(Xi) के अनुसार दावाकृत आई.टी.सी. `2,40,865/- का तीन गुणा अर्थात `7,22,595/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।

(ख) व्यापारी सर्वश्री आर0पी0 वोहरा एण्ड सन्स, गोल्ड प्लस, स्टैट ग्राम थथोला, रूड़की कर - निर्धारता वर्ष 2012-13 द्वारा फार्म-11 के वरूद्ध `2,25,04,764/- के टिम्बर का क्रय करते हुए 4,50,168/- के आई.टी.सी. का दावा कया गया। दिनांक 30.05.2012 के पश्चात टिम्बर के प्रान्तीय क्रय पर `1,59,50,014/- आई.टी.सी. अनुमन्य नही होगा। इस प्रकार दिनांक 30.05.2012 के पश्चात क्रय `1,59,50,014/- पर की दर से दावा कृत आई.टी.सी. `3,19,000/- रिवर्स योग्य होगा। तथा 5 प्रतिशत की दर से लकडी के प्रान्तीय क्रय `1,54,09,596/- पर दावाकृत आई.टी.सी. ` 7,70,483/- रिवर्स योग्य होगा। चुँ क उक्त क्रय 30.05.2012 के पश्चात की गयी थी। इस प्रकार उक्त व्यापारी द्वारा कुल दावाकृत आई.टी.सी. `10,89,556/- रिवर्स योग्य होगा। साथ ही धारा 58(1) (Xi) के अनुसार दावाकृत आई.टी.सी. `10,89,556/- का तीन गुणा अर्थात `32,68,668/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण शासन तथा उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

गणना शीट

1. व्यापारीः- सर्वश्री का सफ एण्टर प्राइजेस मार्त गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री नितोला कर-नि0 वर्ष- 2012-13
   क्रय सूची के अनुसार (P-218)
   13.5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रयः- `77,19,756/-
   5 प्रतिशत वाली वस्तु का क्रयः- `1,34,93,984/-
   उपरोक्त पर आई.टी.सी. अनुमन्य होनी चाहिए थी
   `7719756/- पर 13.5 प्रतिशत से `10,42,167/-
   `1,34,93,984/- पर 5 प्रतिशत से `6,74,699/-
   योगः- `17,16,866/-

2. व्यापारी- सर्वश्री आर.पी. वोहरा एण्ड सन्स, गोल्ड प्लस, थथोला, रूड़की कर-निर्धारता वर्ष- 2012-13
   Purchase-2% की सूची में 1-06-12 से 31-03-2013 तक क्रय `1,59,50,014/- पर
   आई.टी.सी- 3,19,000/-
   Purchase-5% की सूची में 08-06-2012 से 31-03-13 तक क्रयः-`1,54,09,596/- पर
   आई.टी.सी. `7,70,483/-

रिवर्स योग्य आई.टी.सी. =`3,19,000+`7,70,483

`10,89,556/-

अर्थदण्ड (X3) = `32,68,668/-

भाग–2 'ब'

प्रस्तर सं0–03 कर का अनारोपण `15.38 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

पुनः उक्त अ धनियम की धारा 2(42) के प्रावधानों के अनुसार वक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनरा श अ भप्रेत है जो व्योवहारी द्वारा कसी माल के वक्रय के लये प्राप्त की गई है या प्राप्त है और इसके अन्तर्गत व्योवहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बंध में कसी कार्य के नियिमत प्रभारित कोई धन रा श भी होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0) 01 वा णज्य खण्ड रूडकी के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया क व्योहारी सर्व श्री अमर आटोटैक प्रा0 ल0 बेगमपुर रूडकी, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के बाद में व्योवहारी द्वारा संगत वर्ष में `1,13,87,844 के आटो पार्ट का अपने लेखे में **Provision in Sales** प्रर्द शत कया गया था जिस पर कर निर्धरण अ धकारी द्वारा कोई कर आरो पत नही कया गया जब क अ धनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप णय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्योहारी के खाते में प्रर्द शत उक्त धनरा श **Rate difference** के कारण थी जब क माल की बिक्री अगले वर्ष की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क **Rate difference** के कारण व्योहारी को `1,13,87,844 की धनरा श संगत वर्ष में ही प्राप्त देय हो गई थी जिस पर धारा 2(42) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित दर 13.5 प्रतिशत से `15,37,354 का कर आरोप णय था जो नहीं कया गया था।

प्रकरण वभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर सं0-3 ब्याज की धनरा श कम वसूल कया जाना `2.44 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही कया जाता है तो ऐसी धनरा श पर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वा र्षक ब्याज देय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0) खण्ड-IV वा0क0, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री केट लस्वस बायोटेकनोलोजिज प्रा0 ल0, रूड़की कर निर्धारण वर्ष-2012-13 के ऊपर रा श `400431 के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अ धकारी द्वारा कया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2012 से जमा करने की ति थ ब्याज भी आरोपणीय था।

व्यापारी द्वारा रा श `240488 दिनांक 30.06.2016 तथा शेष रा श `159943 दिनांक 12.04.2017 को जमा करा दिया गया था कन्तु उक्त धनरा श पर व्योवहारी द्वारा ब्याज `2,44,035 जमा नहीं कया गया था `240488 पर दिनांक 01.10.2012 से 30.06.2016 तक ब्याज `135275 + `159943 पर दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 12.04.2017 तक का ब्याज `18,793

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा बताया गया क ब्याज हेतु नोटिस जारी कया गया है।

लेखापरीक्षा की ति थ तक वभाग द्वारा ब्याज की वसूली नही की थी अतः प्रकरण ब्याज की वसूली हेतु वभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर सं0-4 अर्थदण्ड़ का अनारोपण `1,31,628

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(1)(Vii) के अन्तर्गत कसी व्योवहारी ने युक्ति युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही कया है तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक 25 प्रतिशत यदि कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर 10 हजार रूपये से अ धक हो का दायी होगा।

डप्टी क मश्नर (क0नि0) खण्ड,-IV वा0क0, रूड़की के अ भलेखों की जाँच में पाया गया क 02 व्यापारियों द्वारा व भन्न माहो में देय कर की कुल रा श `1316288 को वलंब से जमा कया था।

(ववरण संलग्न)

अतः वलंब से जमा कर की रा श पर अ धनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार `131628.8 का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

उक्त के संबंध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण उच्चा धकारीयों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम.सं.	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की ति थ	कर की धनरा श	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	सर्वश्री आस्था फ लंग स्टेशन, रूड़की टिन-05008691904	2009-10	04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009	11.08.10 11.08.10 22.04.15 22.04.15 28.02.15 22.04.15 22.04.15 22.04.15	54739 80900 123557 84393 56906 73361 61183 78047	5473.9 8090.0 12355.7 8439.3 5690.6 7336.1 6118.3 7804.7

			12/2009 01/2010 02/2010 03/2010	22.04.15 22.04.15 22.04.15 22.04.15	67700 67902 57363 67044	6770.0 6790.2 5736.3 6704.4
2	सर्वश्री आस्था फ लंग स्टेशन, रूड़की टिन- 050086919 04	2010-11	04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010	12.08.10 12.08.10 12.08.10 31.01.11 31.01.11 31.01.11 31.01.11 31.01.11	52308 40945 50393 74741 44579 46859 62171 71197 `1316288	5230.8 4094.5 5039.3 747401 4457.9 4685.9 6217.1 7119.7 `131628.8

भाग-2(ब)

प्रस्तर-5 अर्थदण्ड का अनारोपण `32.85 लाख

केंद्रीय बिक्री कर अ धनियम, 1956 की धारा-10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यौहवारी द्वारा केन्द्रीय फार्ण- सी के वरूद्ध रियायती दर पर व्यौवहारी के केन्द्रीय प्रमाणता पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं की खरीद कए जाने पर उस वस्तु पर आरोपणीय कर का 105 गुणा अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0) IV वा णज्य कर, रूड़की की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया क व्यौवहारी सर्वश्री स्टार साईन मैन्यूफैक्चरिग कम्पनी, रूड़की, कर-निर्धारता वर्ष 2013-14 द्वारा प्रपत्र- सी जारी करके प्रान्त बाहर से `16221699 का ग्लु पाउडर, कोद वेनीर, प्रोम-शीट, वुड की रियायती दर पर क्रय की गयी थी। जब क केन्द्रीय पंजीकरत प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापारी उक्त वस्तु की प्रपत्र- सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अर्जिकृत नही था अतः केन्द्रीय बिक्री कर अ धनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत `3284895 (16,2216,99 X 5%X 3/2) अर्थदण्ड आरोप णय था (सूची संलग्न है।)

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क व्यापारी द्वारा केन्द्रीय वस्तु में गोपनीय पत्रावली पर उक्त हेतु प्रार्थना पत्र दा खल है। वबाग का उत्तर मान्य नही था क्यों क पत्रावली में संलग्न केन्द्रीय पंजीयन के अनुसार व्यौवहारी उक्त वस्तुए क्रय हेतु अर्जिकृत नही था।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

गणना शीट

प्रस्तर-3 भाग-2 (ब)

व्यापारी- सर्वश्री स्टार शाईन मैन्यूफैक्यरिंग कम्पनी, क0नि0 वर्ष- 2013-14

फार्म- 'सी' के वरूद्ध क्रय वस्तु की सूची

क्रम सं.	वस्तु का नाम	फार्म-सी संख्या	क्रय की रा श
1	ग्लु पाउडर	1276523, 1276524 1276526, 1276530 1276540, 127650 1276560, 1276561	`15,11,001

		0350452	
2	वेनीर/कोर वेनीर	1276528, 1276533 1276537, 1276539 1276541, 1276542 1276546, 1276547 1276553, 1276558 1276563, 1276576 0350449, 0350442	`1,22,94,505
3	प्रोम शीट	1276529, 1276548 1276554, 1276568 0350437	`12,39,981
4	वुड	1276564, 1276567 0350440	`1176212
		योग	`1,62,21,699

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्यकर, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अभय कुमार पाण्डेय	डप्टी क मश्नर (क0नि0) IV वा0क0 रूड़की

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्यकर, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -115/**2017-18**

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र